FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री राधेश्याम ब्राहम्ण के स्थान पर उसके विधिक वारिसान श्री तरूण ब्राहम्ण व अन्य	**बनाम**	**श्रीमती रामकन्या पुरोहित व अन्य**

किस्म मुकदमा अपील संख्या–**307 / 2020** (**GCMS/2020/00341**)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
06.01.2021	आज दिनांक 06.01.2021 को प्रश्नगत अपील के अपीलार्थी संख्या–1/1 व 1/5 उपस्थित होकर सभी अपीलार्थीण द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो का प्रस्तुत कर अत्यावश्यक कारणों से पत्रावली सिगह से तलब किये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही अधिवक्ता बदलने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया और अधिवक्ता श्री राजमल राव का अधिवक्ता अपीलार्थी का वकालतपत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 17.02.2021 को नियत है। उपस्थित अधिवक्ता व अपीलार्थी संख्या–1/1 व 1/5 के निवेदन पर पत्रावली सिगह से आज तलब की गई। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंटस् के मध्य राजीनामा हो गया है, इसलिए अपीलार्थी उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है, इसलिए उक्त प्रकरण/अपील को इसी स्तर पर विड्रो किए जाने का अनुरोध किया है। उपस्थित प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर उपस्थित अपीलार्थी के कथन का समर्थन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से अपील इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया और वह अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है, जिसे उपस्थित प्रत्यर्थी द्वारा भी स्वीकार किया गया। यहा पक्षकारों द्वारा न्यायालय हाजा को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया गया है कि लिखित समझौते के आधार पर पक्षकार हस्तगत अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने हेतु स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।		